जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य सह
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/GA/1250/2014/........1316........पटना, दिनांकः 25/5/16

सेवा में
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयःपरिवार नियोजन सेवाओं के लिए निजी संस्थानों/निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित (Accreditation) एवं प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करने के संबंध में।
प्रसंगः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 429 दिनांक 19.01.2016

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक पत्रांक 429 दिनांक 19.01.2016 के माध्यम से राज्य में परिवार नियोजन सेवाओं के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निजी संस्थानों को प्रत्यायित एवं प्रतिपूर्ति हेतु राज्य स्तरीय विस्तृत नीति बनायी गयी है एवं इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इस नीति के अंतर्गत दो प्रकार से निजी संस्थान एवं निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित किया जाना है। इसके लिए प्रसंगिक पत्र के माध्यम से प्रथम चरण में अभियान के विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी समय सीमा निर्धारित की गई थी एवं 1 मार्च से उसे प्रभावी भी किया जाना था।

परन्तु अधिकांश जिलों ने उस समयावधि का उपयोग नहीं किया। वस्तुतः निजी संस्थान एवं निजी चिकित्सकों को प्रत्यायित करने की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार अनवरत है, अतः इस निश्चित समयावधि के पश्चात् भी प्रत्यायन की प्रक्रिया प्रासंगिक पत्र में निर्देशित सामयिक गतिविधियों के मार्गदर्शन के अनुसार जारी रहेगी। साथ ही प्रत्यायन की अनवरतता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 की वित्तीय मार्गदर्शिका की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यायन के पश्चात् परिवार कल्याण ऑपरेशन की प्रतिपूर्ति प्रासंगिक पत्र के निदेशानुसार Compensation for Female & Male Sterilization मद (A.3.1.3 & A.3.1.4) से किया जाना है।

इसी क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 5400 दिनांक 18.08.2015 एवं पत्रांक 5518 दिनांक 25.08.2015 के आलोक में निजी संस्था जिलों में कार्य कर रहे है। यदि उक्त संस्था द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 429 दिनांक 19.01.2016 के आलोक में नये सिरे से आवेदन दिया जाता है तो उक्त संस्था को प्रत्यायित किया जा सकता है एवं प्रत्यायन के पश्चात् उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रतिपूर्ति हेतु पत्र द्वारा निदेशित मार्गदर्शन के अनुसार नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है। पूर्व में प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम/निजी संस्था, जिनके द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में निःशुल्क परिवार कल्याण ऑपरेशन सेवा प्रदान किया जा रहा था, उनके द्वारा उक्त अवधि का भुगतान संबंधी कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि वैसे सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जहाँ Empenelled सर्जन पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त नहीं है, वहीं पर प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम/संस्थान द्वारा परिवार

कल्याण ऑपरेशन सेवा सम्पादन को प्राथमिकता दिया जाए। इसी के अनुरूप जिला स्वास्थ्य समिति Fixed Day Services/ Camp Micro Plan तैयर कर क्रियान्वित करेंगें।

परिवार कल्याण ऑपरेशन सेवा सम्पादित करने वाले निजी संस्थानों/निजी चिकित्सकों, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखण्ड एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि परिवार कल्याण कैम्प का आयोजन गुणवत्तापूर्ण सम्पादित हो ताकि किसी भी लाभार्थी की मृत्यु/जटिलता की संभावना न्यूनतम हो सके। उक्त गतिविधि के तहत् सम्पादित होने वाले परिवार कल्याण ऑपरेशन में अपरिहार्य कारणों से किसी प्रकार के अप्रिय घटनाओं यथा मृत्यु/जटिलता/असफल होने के स्थिति में संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) की प्रक्रिया प्रभावी होगी, जिसके तहत् परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति दावों का निपटारा ससमय हो सकेगा। इस संदर्भ में यह जरूरी होगा कि FPIS Manual की प्रति प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम/निजी संस्था को भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

24/5

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

कल्याण ऑपरेशन सेवा सम्पादन को प्राथमिकता दिया जाए। इसी के अनुरूप जिला स्वास्थ्य समिति Fixed Day Services/ Camp Micro Plan तैयर कर क्रियान्वित करेंगें।

परिवार कल्याण ऑपरेशन सेवा सम्पादित करने वाले निजी संस्थानों/निजी चिकित्सकों, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखण्ड एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि परिवार कल्याण कैम्प का आयोजन गुणवत्तापूर्ण सम्पादित हो ताकि किसी भी लाभार्थी की मृत्यु/जटिलता की संभावना न्यूनतम हो सके। उक्त गतिविधि के तहत् सम्पादित होने वाले परिवार कल्याण ऑपरेशन में अपरिहार्य कारणों से किसी प्रकार के अप्रिय घटनाओं यथा मृत्यु/जटिलता/असफल होने के स्थिति में संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) की प्रक्रिया प्रभावी होगी, जिसके तहत् परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति दावों का निपटारा ससमय हो सकेगा। इस संदर्भ में यह जरूरी होगा कि FPIS Manual की प्रति प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम/निजी संस्था को भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांकः 1316 पटना, दिनांकः 25/5/16

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. डी0 एन0 साहू, अवर सचिव, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी परिवार कल्याण कोषांग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिलापदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएँ), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, परिवार कल्याण को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी सहयोगी संस्थान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org